राजस्व अपील संख्या : 33/2022
उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूगिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 33/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/10

अपीलाण्ट्स :–

सोहनलाल पुत्र प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल, जाति ब्राह्मण निवासी सादडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसूरी
2. पिंकी पुत्री प्रेमशंकर पत्नी निलेश जाति ब्राह्मण निवासी सादडी जिला पाली राज. रिसेड, तहसील राजसमंद, जिला राजसमंद
3. लालाराम पुत्र श्री प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी रणकपुर रोड, सादडी तहसील देसूरी जिला पाली राज.
4. महिपाल पुत्र श्री रेवतसिंह जाति चौहान राजपुत निवासी श्री सेला तहसील बाली जिला पाली हाल निवासी रणकपुर रोड।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1803 आज्ञा दिनांक 13.01.2021 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता भैरालाल गोयल।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 की ओर से अधिवक्ता श्री विजेन्द्र सिंह देवडा।

–:निर्णय:–

दिनांक: 04.08.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर मौजा सादडी चक द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 1803 आज्ञा दिनांक 13.01.2021 जो तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया को निरस्त करवाने बाबत पेश की। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज दर्ज रजिस्टर की गई।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं मौजा सादडी चक प्रथम के गत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1627, वर्तमान खसरा नम्बर 5259 की कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिता स्व. प्रेमशंकर ने अपनी निजी आय से जरिये दिनांक 02.05.1983 को खरीद की थी खरीद से लगाकर आज दिन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 33/2022
उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तक अपीलाण्ट के पिता स्व. प्रेमशंकर के साथ अपीलाण्ट का भौतिक एवं वास्तविक कब्जा रहा है। अपीलाण्ट के पिता स्व. प्रेमशंकर ने उक्त भूमि अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट को अंतिम वसीयत की थी। तत्पश्चात उक्त वसीयत को अपीलाण्ट ने पंजीयन करवाई गई। उसके बाद में अपीलाण्ट के पिता का दिनांक 09.03.2019 को देहान्त हो गया। उसके बाद में अपीलाण्ट ने पटवारी हल्का को स्व. प्रेमशंकर द्वारा निष्पादित की गई वसीयत को पेश किया गया एवं वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण भरने का निवेदन किया गया दिनांक 17.02.2020 को तहसीलदार देसूरी को उक्त वसीयत के आधार पर अपीलाण्ट के नाम का नामान्तरकरण भरने हेतु आवेदन पेश किया गया। तहसीलदार देसूरी ने हल्का पटवारी को उक्त वसीयत की जांच कर म्यूटेशन अपीलाण्ट के नाम से भरने का आदेश दिया। हल्का पटवारी ने तहसीलदार देसूरी के आदेश की अवहेलना करते हुए अपीलाण्ट को अंधेरे में रखकर फौतेदगी नामान्तरकरण अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट के नाम से भर कर तहसीलदार देसूरी से स्वीकृत करा दिया। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार देसूरी की आज्ञा दिनांक 13.01.2021 को निरस्त फरमावें एवं एवं अपीलाण्ट के पक्ष में अंतिम वसीयत हुई है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण पारित करने का हुक्म दिलावें।

यह कि, तहसीलदार देसूरी को अपीलाण्ट ने अंतिम वसीयतनामा में आवेदन पेश किया। तहसीलदार देसुरी ने दिनांक 17.02.2020 को हल्का पटवारी को उक्त वसीयत की जांच कर नियमानुसार म्यूटेशन भरने का आदेश दिया। पटवारी हल्का को अंतिम वसीयत स्व. प्रेमशंकर द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित की गई जिसकी फोटोप्रति एवं स्व. प्रेमशंकर का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करने के उपरान्त भी अन्तिम वसीयत के आधार पर उक्त म्यूटेशन न तो भरा गया और ना ही कोई अग्रिम कार्यवाही की। बल्कि पटवारी द्वारा फौतेदगी म्यूटेशन भरकर तहसीलदार देसूरी से दिनांक 13.01.2021 को स्वीकृत करा दिया, जो काननून निरस्त योग्य है। यह भी कि, मौजा सादडी के खसरा नम्बर 5259 उक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट के पिता स्व. प्रेमशंकर ने दिनांक 02.05.1983 को खरीद की हुई थी। जिसने अपने जीवनकाल में अपीलाण्ट को अंतिम वसीयत निष्पादित की गई। उक्त वसीयत को आज दिन तक किसी ने निरस्त नहीं करवाई गई और न ही की गई। पटवारी हल्का सादडी को उक्त वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण भरना चाहिये तत्पश्चात तहसीलदार से स्वीकृत करवाना चाहिये लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट को अंधेरे में रखकर रेस्पोडेण्ट के पक्ष में उक्त कार्यवाही करके म्यूटेशन स्वीकृत कराया गया जो विधि अनुसार निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कि स्व. प्रेमशंकर ने उक्त कृषि भूमि खरीद की थी जो स्व. प्रेमशंकर की आय से खरीद थी। तब से स्व. प्रेमशंकर व अपीलाण्ट का संयुक्त कब्जा काश्त रहा है। उक्त कृषि भूमि को स्व. प्रेमशंकर ने अंतिम वसीयत अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित कर दी थी जिसे नहीं मानने का रेस्पोडेण्ट के पास कोई कारण नहीं है। इस आधार पर भी अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 13.01.2021 को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

रेसपो. संख्या एक व दो बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 33/2022
उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूगिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

काबिल अधिवक्ता बजतरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि मौजा सादडी चक द्वितीय के खसरा नम्बर 5229 रकबा 1.3100 हैक्टेयर किस्म नहरी दोयम की कृषि भूमि विद्यमान है जो भूमि स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के नाम से दर्ज थी। स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल जी ने अपीलाण्ट सोहनलाल के पक्ष में किसी प्रकार की कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है। अपीलाण्ट ने जो वसीयतनागा पेश किया है वह फर्जी, कूटरचित तथा अनरजिस्टर्ड है। स्व. प्रेमशंकर उर्फ भवंरलाल दसवी पास थे तथा वो हस्ताक्षर करते थे, जबकि उक्त तथाकथित वसीयतनामा पर स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के अंगुष्ठ निशान है तथा स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल अपनी मृत्यु दिनांक 09.03.2019 से पूर्व पांच वर्षो से लगातार गंभीर बीमारी से ग्रसित थे तथा वो चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे, तथा उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नही था तथा याददाश्त कमजोर हो गई थी तथा उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, जिससे भी उक्त वसीयत पर फर्जी अंगूठे स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के किये गये है, जबकि स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल द्वारा हरिद्वार में पंण्डित की बही में किये गये हस्ताक्षर से प्रमाणित है, वहां पर भी उन्होंने ही हस्ताक्षर किये है। जिससे कि अपीलाण्ट की अपील निरस्त योग्य है।

यह भी कि, स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के तीन विधिक वारिसान अपीलाण्ट सोहनलाल व रेस्पोडेण्ट लालाराम व पिंकी हुए है तथा स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल ने अपने जीवनकाल में ही उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व अन्य कृषि भूमि अपने तीनों विधिक वारिसान को बहिस्सा बराबर के सुपुर्द कर दी थी तब से उपरोक्त आराजी पर स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के तीनों विधिक वारिसानों अपीलाण्ट सोहनलाल व रेस्पोडेण्ट लालाराम, पिंकी का बहिस्सा बराबर यानि 1/3, 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नागान्तरकरण संख्या 1803 दिनांक 30.08.2019 को दर्ज होकर दिनांक 13.01.2021 को श्रीमान तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया है। इससे भी स्पष्ट है कि स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की उपरोक्त वर्णित सम्पति पर उनके तीनों विधिक वारिसान सोहनलाल, लालाराम व पिंकी का बहैसियत मालिक के कब्जा काश्त चला आ रहा है। इससे भी स्पष्ट है कि तथाकथित वसीयतनामा सही होता तो स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की मृत्यु दिनांक 09.03.2019 के बाद तथाकथित वसीयत के आधार पर नागान्तरकरण कार्यवाही करता परन्तु अपीलाण्ट ने किसी प्रकार की कार्यवाही नागान्तरकरण संख्या 1803 दिनांक 13.01.2021 को तहसीलदार द्वारा निष्पादित की गई है। इससे यह स्पष्टतया प्रमाणित है कि उक्त आराजी पर स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के तीनो विधिक वारिसान सोहनलाल, लालाराम, व पिंकी का बहैसियत मालिक के कब्जा काश्त चला आ रहा है स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के तीन पुत्र व एक पुत्री है जिसमे से प्रकाश गोद गया हुआ है तथा अब सोहनलाल, लालाराम व पिंकी तीनो ही विधिक उत्तराधिकारी व वारिसदार है तथा तीनो के नाम से फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया जो सही है जिससे भी अपीलाण्ट की अपील निरस्त होने योग्य है। यह है कि उक्त आराजी आबादी के नजदीक होने से व वर्तमान में जगीनों के भाव बढे हुए है इस कारण अपीलाण्ट की नियत में फर्क आने से रेस्पोडेण्ट पर दबाव बनाने की

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 33/2022
उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

नियत में फर्क आने से रेस्पोडेण्ट पर दबाव बनाने की नियत से उक्त फर्जी कूटरचित तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 26.02.2017 के आधार पर यह गलत अपील पेश की गई। उक्त वसीयतनामा पर स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के फर्जी अंगूठे किये गये है, वे हमेशा हस्ताक्षर करते थे, जो कि हरिद्वार की पण्डितजी की बही से व अन्य दस्तावेज से प्रमाणित है। स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के फर्जी अंगूठे कर उक्त फर्जी वसीयत उक्त जमीन को अकेले हड़पने की नियत से तैयार की गई है। जिससे अपील अपीलाण्ट निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की मृत्यु के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 1803 दिनांक 30.08.2019 को दर्ज होकर 13.01.2021 को तहसीलदार देसूरी द्वारा स्वीकृत किया गया है। पटवारी व तहसीलदार ने पूरी तहकीकात व जांच कर उक्त फौतदगी नामान्तरकरण सही भरा है एवं तीनों वारिसादारों का नाम दर्ज किया गया है तथा स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की उक्त सम्पति पर उनके तीनों विधिक वारिसान सोहनलाल, लालाराम व पिंकी का बहैसियत मालिक के कब्जा काश्त चला आ रहा है उसके बाद लालाराम व पिंकी ने अपने हिस्से की आराजी महिपालसिंह को सुपूर्द कर दिया। जिस पर राजस्व कर्मचारियों द्वारा बयान व कब्जे के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 2035 दिनांक 11.07.2022 भरा गया है। लालाराम व पिंकी की भूमि पर महिपालसिंह बहैसियत मालिक के काबिज है जिससे अपील अपीलाण्ट निरस्त योग्य है।यह है कि उक्त प्रकरण में म्यूटेशन नम्बर 1803 दिनांक 13.01.2021 को पटवारी व तहसीलदार द्वारा सही व निष्पक्ष जांच कर स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल के तीनों विधिक वारिसानो के नाम से फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया है जो सही है। उक्त म्यूटेशन को निरस्त नहीं किया जा सकता है। यह है कि उक्त प्रकरण में म्यूटेशन नम्बर 1803 दिनांक 13.01.2021 को भरा गया था, लेकिन उक्त म्यूटेशन के विरुद्ध अपील म्याद बाहर पेश की गई है। उक्त अपील म्याद बाहर होने से निरस्त करने योग्य है। जो अपील अपीलाण्ट निरस्त की जावें।

यह भी कि, रेस्पोडेण्ट लालाराम व पिंकी ने स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल की सेवा चाकरी की है तथा समय समय पर उनका इलाज भी करवाया तथा स्व. प्रेमशंकर उर्फ भंवरलाल ने अपने जीवित काल में ही अपने तीनों विधिक वारिसान सोहनलाल,लालाराम व पिंकी को उक्त भूमि मौके पर बांट कर दी तथा तीनों वारिसान के नाम से फौतेदगी म्यूटेशन भरा गया है, जो सही है। अपीलाण्ट ने गलत अपील पेश की है।

प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया गया जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि ज़ेर अपील कृषि भूमि पिता स्व. प्रेमशंकर की क्रयशुदा स्वअर्जित सम्पति है, जिसकी स्व. प्रेमशंकर द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलार्थी द्वारा इस सम्बन्ध में तहसीलदार देसूरी को लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त भी विवादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी के पक्ष में इन्द्राज करने के स्थान पर ज़रिए आलोच्य फौतेदगी नामान्तरकरण के स्व. प्रेमशंकर के अन्य वारिसों को बतौर सहखातेदार संयोजित

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 33/2022

उनवान : रोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

किया गया, जो कि पूर्णतः विधि विरुद्ध है। यह भी, कि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1803 दिनांक 13.01.2021 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.07.2022 को रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त करने पर हुई एवं बिना किसी देरी के न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई, फिर भी देरी के माफी हेतु मियाद प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। बहस को समेकित करते हुए अधिवक्ता अपीलाण्ट ने आलोच्य नामान्तरकरण को एकतरफा तथा अवैध करार देते हुए अपास्त करने का निवेदन किया।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 03 व 04 ने उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा एक फर्जी व कूटरचित वसीयत को आधार बनाकर अपील प्रस्तुत की गई है। स्व. प्रेमशंकर हस्ताक्षर करते थे किन्तु वसीयत पर उनके फ़र्जी अंगुष्ठ निशान है। यह भी, कि स्व. प्रेमशंकर की मृत्यु तथा आलोच्य नामान्तरकरण की स्वीकृति उपरान्त उक्त तथाकथित वसीयत को पंजीकृत करवाया गया। अपंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर कोई अधिकार सृजित नहीं होते है। यह भी, कि हस्तगत अपील देरीना प्रस्तुत की गई है, अतः अवधिबाधित होने से भी काबिल खारिज है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

वुकलाय फरीकेन की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा आलोच्य नामान्तरकरण की मूल परत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने से पूर्व मियाद (Limitation) के प्रश्न का निर्धारण आवश्यक है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण बउनवान 'सिराजद्दीन बनाम मोहम्मद अली' (RRT 2024 (2) 1095) में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि 'No order can be passed on merits without deciding the question of limitation first."

अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1803 आज्ञा दिनांक 13.01.2021 की अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.07.2022 राजस्व रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त होने पर हुई। नकल दिनांक 15.07.2022 को मिलते ही माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा रही है। फिर भी देरी माफी हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम का आवेदन अलग से पेश किया जा रहा है।

अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या तीन एवं चार की ओर से प्रस्तुत जवाबपत्र के पैराग्राफ संख्या छह में यह उज़र/ऐतराज लिया है कि आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 1803 दिनांक 13.01.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हस्तगत अपील अवधिबाधित होने से निरस्त योग्य है।

यहाँ परिसीमा के बिन्दु पर वैधानिक स्थिति का परीक्षण करना समीचीन होगा। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 78 (a) में यह उपबन्धित है कि आलोच्य आदेश के विरुद्ध तीस दिवस की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त कोई अपील संधारणीय नहीं होगी।

परिसीमा अधिनियम की धारा 03 निर्धारित अवधि (Prescribed period) समाप्ति के बाद प्रस्तुत किसी अपील, आवेदन इत्यादि को निरस्त किये जाने का उपबन्ध करती है तथा उक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, ज़िला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम की धारा 05 न्यायालय की सन्तुष्टि एवं 'पर्याप्त हेतुक' (Sufficient Cause) की शर्त पर देरी के उपशमन का प्रावधान करती है।

हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 1803 दिनांक 13.01.2021 के विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा दिनांक 02.08.2022 को अर्थात् 18 माह एवं 20 दिन की अवधि व्यतीत होने के बाद अपील प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में यह सशपथ कथन किया गया है कि नामान्तरकरण आज्ञा दिनांक 13.01.2021 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.07.2022 को रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त होने पर हो पाई। किन्तु अपीलाण्ट की ओर से दिनांक 15.07.2025 को लिखित बहस के पेराग्राफ संख्या दो में अपीलाण्ट श्री सोहनलाल द्वारा तहसीलदार देसूरी को दिनांक 13.05.2022 को पंजीयन नहीं करने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अंकन किया गया है। काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से फहरिश्त दस्तावेज दिनांक 15.07.2025 के साथ प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट श्री सोहनलाल द्वारा उपंजीयक देसूरी अर्थात तहसीलदार देसूरी के समक्ष दिनांक 13.05.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 5259 तथा अन्य कुछ खसरों का पंजीयन नहीं करने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2022 के पैराग्राफ संख्या दो में स्वयं अपीलाण्ट द्वारा यह अंकित किया गया है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 5259 सहखातेदारों के मध्य अविभाजित तथा विवादग्रस्त कृषि भूमि है एवं प्रार्थना पत्र के अन्त में रेस्पोडेण्ट संख्या दो व तीन के नामों का उल्लेख करते हुए उनके हिस्से की कृषि भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज पंजीयन को रोकने का निवेदन किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र के पैराग्राफ संख्या एक के अन्त में अपीलाण्ट द्वारा उक्त कृषि भूमियों की जमाबन्दी की प्रतियां सलंग्न करने का भी उल्लेख अंकित है। स्वयं अपीलाण्ट द्वारा उक्त बहस दिनांक 15.07.2025 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2022 की प्रति से यह सिद्ध हो जाता है कि अपीलाण्ट को उक्त तिथि 13.05.2022 को इस तथ्य की भली भांति जानकारी थी कि ज़ैर अपील विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 5259 के राजस्व अभिलेख में रेस्पोडेण्ट्स संख्या दो एवं तीन बतौर सहखातेदार दर्ज है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 में दिनांक 15.07.2022 को सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त होने का अंकन काल्पनिक एवं मनगढ़न्त होना प्रमाणित पाया जाता है।

अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत नामान्तरकरण अपील दिनांक 02.08.2022 को प्रस्तुत की गई, जबकि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि उन्हें कम से कम दिनांक 13.05.2022 को उक्त इन्द्राज की भली भांति जानकारी थी अर्थात् अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील 02 माह एवं 20 दिन की अवधि उपरान्त प्रस्तुत की गई, जबकि नामान्तरकरण अपील हेतु निर्धारित अवधि तीस दिवस है। अपीलाण्ट उक्त देरी हेतु कोई पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने में असफल रहे है जिससे कि यह न्यायालय विलम्ब के उपशमन हेतु सन्तुष्ट हो सके। इससे उलट मियाद प्रार्थना पत्र में झूठे अभिकथनों का अंकन करने का अपीलाण्ट का कृत्य न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का कुत्सित प्रयास भी प्रतीत होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 33/2022

उनवान : सोहनलाल बनाम तहसीलदार भूमिधारी देसूरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय के इस स्तर पर यह उल्लेख करना समीचीन है कि मियाद का प्रश्न औपचारिक मात्र न होकर विशेष कानुन द्वारा अधिरोपित वैधानिक बाध्यता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण बउनवान Bhanupratap singh & othr. Vs. Smt. Ghanshyam Kumari & other. [232 PRT 2015 (1)] में भी यही प्रतिपादित किया है कि " The Litigants who approach the court have to remain vigilant and the law of limitation can not be said to be a mere formality to be obsereved more in ignoring the same rather than compliance....."

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तो बिना ठोस आधार के देरी के उपशमन (condonation of delay) की प्रवृति पर सख्त टिप्पणी करते हुए प्रकरण बउनवान " Basawaraj & anr. Vs. Special Land Acquisition officer" (2013 DNJ (SC) 829) में यह अभिनिर्धारित किया गया कि "------ in case there was no sufficient cause to prevent a litigant to approach the course on time, condoning the delay without any justification, putting any condition what so ever, amounts to passing an order in violation of the statutory provisions and it tantamounts to showing utter disregard to the legislature."

सारांशतः, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के आलोक में न्यायालय हाजा का यह विनम्र मत है कि अपीलार्थी द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण की सचेष्ट जानकारी होते हुए भी उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं की गई।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम अस्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत नामान्तरकरण अपील बेरुन मियाद होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner